न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी, जिला अजमेर

राजस्व वाद 19/2023 (2023/79)

नाथूलाल पुत्र गोपाल जाट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. टेनेन्सी एक्ट

आदेश

दिनांकः– 20.02.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम/करबा केकड़ी की वर्किंग जमाबन्दी संवत 2041 के खाता संख्या 1 के खसरा नम्बर 804 रकबा 04–18–00 बीघा सरकारी भूमियां दर्ज होकर जरिये नामान्तकरण संख्या 975 से लादू, रामपाल, गोपाल पि. सुखदेव जाति जाट सा.देह गैर खातेदार व नामान्तकरण संख्या 485 दिनांक 29.02.1996 से खसरा नम्बर 804 पर खातेदारी हक प्रदान का अंकन स्वीकार हुआ। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 804 रकबा 04–18–00 बीघा के हाल खसरा नम्बर 5219 रकबा 0.79 है0 बने है। नामान्तकरण संख्या 5087 दिनांक 05.05.2022 जरिये विरासत लादू पुत्र सुखदेव के स्थान पर गीता, रामरतन पि. लादू व नामान्तकरण संख्या 5105 दिनांक 19.05.2022 से जरिये विरासत गोपाल पुत्र सुखदेव के स्थान पर मनभर पत्नि गोपाल, नाथूलाल, बीना, सुरमा, सरोज पि. गोपाल का नवीन अंकन स्वीकार हुआ। कस्बा केकड़ी की वर्तमान जमाबन्दी संवत 2076 के खाता संख्या 2936 में खसरा नम्बर 5219 रकबा 0.79 है0 किस्म बा.1 रामलाल पुत्र सुखदेव हि. 1/3, गीता, रामरतन पि. लादूराम 1/3, मनभर पत्नि गोपाल, नाथूलाल, बीना, सुरमा, सरोज पि. गोपाल 1/3 कौम जाट सा0देह गैर खातेदार दर्ज है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन रिकॉर्ड/आधार जमाबन्दी तैयार करते समय भूल व सहवन से हाल खसरा नम्बर 5219 पर केवल नामान्तकरण संख्या 975 का ही अमल हुआ, जबकि नामान्तकरण संख्या 485 का अमल नही होकर पुनः गैर खातेदार ही दर्ज कर दिया गया। अतः वर्किंग जमाबन्दी संवत 2041 के खसरा नम्बर 804 रकबा 0.79 है0 पर दर्ज नामान्तकरण संख्या 485 दिनांक 29.02.1996 पर खातेदारी हक प्रदान दर्ज अनुसार हाल खसरा नम्बर 5219 रकबा 0.79 है0 पर रामलाल पुत्र सुखदेव हिस्सा 1/3, गीता, रामरतन पि. लादूराम 1/3, मनभर पत्नि गोपाल, नाथूलाल, बीना, सुरमा, सरोज पि. गोपाल 1/3 कौम जाट सा.देह गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज किये जाने की अनुशंषा तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली व तहसीलदार केकड़ी, भू0अ0निरी0, पटवारी, की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। अतः तहसीलदार केकड़ी द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। ग्राम /करबा केकड़ी के हाल खसरा नम्बर 5219 में खातेदार रामलाल पुत्र सुखदेव, गीता, रामरतन पि. लादूराम, मनभर पत्नि गोपाल, नाथूलाल, बीना, सुरमा, सरोज पि. गोपाल कौम जाट सा.देह को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज किये जाने/दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार केकड़ी आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करें। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner